उप–क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल परिसर
ओखला, नई दिल्ली–110020

संख्याः **OKHLA/20-21-013688-001-1001** दिनांकः 15/10/2009

सेवा में,

M/s. Apex Services
H. No.2021
Sector D-2, Vasant Kunj
New Delhi-110070

विषयः दिल्ली से बाहर स्थित व्याप्त फैक्टरी लेकिन जिसका कार्यालय दिल्ली में स्थित हो उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में पंजीकरण तथा अंशदानों की अदायगी ।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके शाखा कार्यालय/कारखाने के सम्बन्ध में नियोजक/क्षेत्रीय निदेशक से प्राप्त सूचना के आधार पर दिल्ली स्थित आपके कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी दिनांक **01.04.2009** से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) के अंतर्गत शामिल है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का अनुपालन करें और हमारे कार्यालय में उनके सम्बन्ध में सभी कर्मचारियों का पंजीकरण करने के लिए तथा अंशदानों की अदायगी करने के लिए उचित व्यवस्था करें।

पंजीकरण के प्रयोजन के लिए आपसे निवेदन है कि कर्मचारी बीमा (साधारण) विनियम 1950 के नियम 12 के अनुसार **01.04.2009** को नियोजित अथवा अपने मुख्य कार्यालय/कारखाने की व्याप्ति की तारीख को आपके कार्यालय के सभी व्याप्ति योग्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय को घोषणा.पत्र प्रस्तुत करें ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित दर पर कर्मचारियों अंशदान की अदायगी कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के नियम 31 के अधीन निर्धारित सीमा में अंशदान जमा कराकर की जाए ।

आपके कार्यालय को कोड संख्या **20-21-013688-001-1001** आबंटित की है जिसका प्रयोग इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में किया जाए । इस कोड संख्या का उल्लेख कारखाने/मुख्य कार्यालय की कोड संख्या के साथ इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी फार्मों तथा विवरणियों में किया जाए ।

PALAM स्थित निगम के स्थानीय कार्यालय को यह अनुदेश दिए गये हैं कि कर्मचारियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में आपकी आवश्यक सहायता करें । यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो आप इस कार्यालय अथवा स्थानीय कार्यालय के प्रबन्धक से संपर्क कर सकते हैं । आप घोषणा.पत्र भी उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । चिकित्सा हितलाभ के लिए कोई भी बीमाकृत व्यक्ति अपने निवास स्थान के समीप किसी औषधालय को चुन सकता है । दिल्ली क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय की सूची, निदेशक (चिकित्सा) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बसईदारापुर, नई दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है ।

यह भी निवेदन है कि आप दुर्घटना पुस्तक, फार्म संख्या. 7 के अधीन कर्मचारियों का रजिस्टर तथा निरीक्षण पुस्तक रखें। यह रिकार्ड आपके कार्यालय का निरीक्षण करते समय बीमा निरीक्षक द्वारा देखा जायेगा।

निगम कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन आपके सभी कार्यों को निपटान में आपकी आवश्यक सहायता करेंगे । मुझे विश्वास है कि आप उक्त अनुदेशों का तत्काल और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

भवदीय

कृते संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपिः सूचना तथा आवश्यक कार्रवाही के लिए ।

1. **M/s. Apex Services**
   A-2/30, Vijay Khand Gomti Nagar,
   Lucknow-226010
2. क्षे0 नि0 कानपुर को इस निवेदन के साथ कि कारखाने/मुख्य कार्यालय की व्याप्ति की अंतिम तारीख सूचित करें।
3. शाखा कार्यालय प्रबन्धक, **PALAM,** कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।
4. संगणक कक्ष, उप–क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला, दिल्ली ।
5. सी–6 शाखा, उप–क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला, दिल्ली।
6. हितलाभ शाखा, उप–क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला, दिल्ली।

N.O.E-64

संजय कुमार राणा
सहायक निदेशक
उप क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल परिसर
ओखला, चरण-1, नई दिल्ली-110020

कृते संयुक्त निदेशक